

नाबार्ड का कार्य पूँजी निधि निवेश

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि प्रसंस्करण उद्योग तथा सेवाओं को दीर्घकालिक तथा साम्यिक वृद्धि की पूर्ण करने के लिए नाबार्ड ने निर्णय लिया है कि व्यावसायिक प्रबंधक कार्य पूँजी निधि में अंशदान के अवसर का पता लगाए कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिचय है. पहलों का संक्षिप्त ढाँचा निम्नलिखित है :

I. निधि का प्रयोजन

1. वर्तमान पुनर्वित्त को सम्पूरक तथा बृहत आधार करने तथा सहवित्तपोषण उत्पाद तथ नाबार्ड की अन्य विकासात्मक पहलों को पूर्ण करना.
- II. वर्तमान उद्यमियों को प्रोत्साहित करना अथवा कृषि तथा ग्रामीण विकास की नई गतिविधियों में अग्रणी करना.
- III. ग्रामीण द्वारा मॉडल इकाइयों के विकास की स्पर्धा को सुगम करना.
- IV. कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों की नवप्रवर्तन उच्च जोखिम की सूर्योदय गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहित करना.
- V. इक्विटी सहायता का अभाव के कारण उनके परिचालनों को बढ़ाने के लिए इकाइयों की सहायता करने में असमर्थ है.
- VI. इकाइयों की सहायता करना जो आधारभूत विकास तथा/ अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए अग्रणी होना.

2. कार्य पूँजी निधि पात्रता

2 अ गतिविधियों का चयन

- (i) नाबार्ड मुख्यतः कृषि, कृषि प्रसंस्करण तथा ग्रामीण क्षेत्र में निधियों पर संकेन्द्रित करना. इस प्रयोजन के लिए निधि के पात्र होंगे. यदि परियोजना का 50% के समूह न्यूनतम निवेश योजना में निवेश करे जोकि कृषि और ग्रामीण विकास के सहायक है.
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य पूँजी को प्राथमिकता से स्थापित करने के लिए आरंभिक इकाइयों/ वर्तमान इकाइयों की सहायता होनी चाहिए. अगर ऐसे क्षेत्र के बाहर इकाई स्थापित करनी हैं तो उनके द्वारा उत्पाद की गयी सामान तथा सेवाएँ ग्रामीण क्षेत्र को दोनों प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप लाभ देना चाहिए.

बी अनुभव

i. कार्य पूँजी निधि को कार्य पूँजी गतिविधियों के लिए भारत में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा पूर्व निधि निवेशों की अच्छी प्रगति दर्शायी जाए. नए कार्य पूँजी के विषय में प्रमोटर संस्था को 5 वर्ष से कम का अनुभव होना चाहिए. न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य पूँजी व्यवसाय होना चाहिए तथा अच्छा कार्यनिष्पादन प्रदर्शित होना चाहिए.

ii. कार्य पूँजी कम्पनी प्रमोटर की ख्याति तथा पिछला कार्यनिष्पादन अभिलेख, कार्य पूँजी न्यास तथा निवेश प्रबंधकों तथा उनके दल सदस्यों को अधिक महत्व दे.

2 स आरम्भिक निधि

iii. कार्य पूँजी निधि की आरम्भिक निधि की आरम्भिक निधि के विषय में चयन (अ) निधि के आकार (ब) अन्य निवेशकों का प्रोफाइल (स) प्रमोटरों का गत अभिलेख तथा इस क्षेत्र में उनका अनुभव पर आधारित होना चाहिए.

3. निधि का जीवन

प्राथमिक रूप से 5-7 वर्षों - 10 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए.

4. सांविधिक अपेक्षाओं/ नियमों/ अधिनियमन/ मानदण्डों का पालन

i. एसईबीआई पंजीकरण

सभी कार्य पूँजी निधियों के लिए एसईबीआई पंजीकरण आवश्यक है. निधि एसईबीआई से पंजीकरण का प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें तथा निधियों के परिचालन आरम्भ कराने की सभी अपेक्षित आवश्यकताएं आरम्भ करे. निधि एसईबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन प्रमाणपत्र सहायता जारी होने से पूर्व सनदी लेखाकार से प्राप्त करे.

ii. कार्य पूँजी निधि का आस्तियाँ प्रबंधन कम्पनी (एएमसी) ढाँचे साथ ही कार्य पूँजी न्यास विभिन्न सांविधिक तथा नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करे.

iii. लेखापद्धति तथा रिपोर्टिंग नीति

विभिन्न नियामक प्राधिकरणों नाबार्ड द्वारा विशिष्ट लेखा पद्धति के सभी प्रयोज्य मानकों का पालन करेगा. यदि आवश्यक है तो निधियों के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को विशिष्ट करेगा.

5. परियोजना सूचना

कार्य पूँजी निधि आमंत्रित कम्पनियों को सभी सूचनाएँ/ प्रकटन तथा उनकी वित्तीय निष्पादन की तिमाही अंतराल पर नाबार्ड को उपलब्ध करवाए.

6. अन्य नियम तथा शर्तें

i. सभी अन्य आवश्यक यथाचित परिवर्तनों सहित नाबार्ड से सहायता निर्धारित नियम तथा शर्तों के अनुसार आवेदन करें.

ii. निधि कारपोरेट शासन के उच्च मानक का अनुरक्षण करेगा तथा निदेशक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें कि पूर्ण पारदर्शिता और उनके सभी निवेशकों का समय पर सूचनाएँ लेखा बहियों का अनुरक्षण; दस्तावेजों तथा अभिलेखों सहित न्यास निधि के संबंध में सत्य तथा निवेशकों के खातों की सही व्यय अर्जन लाभ आदि विवरण देगा.

iii. निधि सभी अनुपालन के वांछित उपाय विभिन्न नियामक तथा सांविधिक अपेक्षाओं तथा उक्त की नाबार्ड की संतुष्टी करेगा.

iv. नाबार्ड की पूर्वनुमति के बिना कम्पनी के आस्तियों प्रबंधन के शेयर धारिता पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा.

v. निधि आमंत्रित कम्पनियों के विषय में सभी सूचनाएँ/ प्रकटन तथा उनके वित्तीय निष्पादन तथा उनसे अन्य संबंधित आर्थिक आँकड़े जैसे रोजगार आदि उपलब्ध करवाए.

vi. प्रत्येक राजवित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात 90 दिवसों में निधि उपलब्ध करवाए.

(1) निधि की लेखा परीक्षित वित्तीय स्टेटमेन्ट

(2) वार्षिक मूल्यांकन, प्रत्येक कम्पनी विभाग का निवेश की स्थिति अथवा अन्य कोई संबंधित सूचनाएँ प्रत्येक राजवित्त वर्ष की समाप्ति पर 180 दिवसों में उपलब्ध करवाने निधि यथोचित प्रयास करें.

नाबार्ड की कर विवरणियों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक सूचनाएँ भेजे तथा ऐसे अन्य सूचनाएँ कर धन वापसी के आवेदन के प्रयोजन के लिए आवश्यक है. निधि भी तिमाही आधार पर कम्पनी के निवेश विभाग के सार के आधार पर तथा गत अवधि से विनिवेश उपलब्ध करवाए.

कृपया अतिरिक्त विवरण के लिए संपर्क करें.

(एस.बालन)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय बैंक वित्त विभाग

दूसरी मंजिल, 'डी' विंग

सी-24, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व)

मुंबई - 400051

ईमेल : fd@nabard.org

टेलीफोन : 022-2633-0095/ 9266